

2026/2027

छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं
के लिए घरेलू आवेदन



छात्र वित्त कार्यालय
कामकाजी परिवार और छात्र वित्तीय सहायता एजेंसी

(Hindi)

“छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए घरेलू आवेदन फॉर्म” एक परिवार-आधारित फॉर्म है जो छात्र वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल(लों) या किंडरगार्टन / बाल देखरेख केंद्रों(द्रों) में जाने वाले बच्चे(चों) के परिवारों को सुविधा प्रदान करता है।

पात्रता मानदंड

- (i) आवेदकों को आय संबंधी जांच में पास होना चाहिए और (अल्पव्यस्क संरक्षकता अध्यादेश, केप 13 के तहत यथा मान्य) छात्र-आवेदकों का माता-पिता या अभिभावक होना चाहिए। अन्यथा, आवेदकों को प्रमाण के साथ विवरण देना चाहिए कि इसे आवेदन पत्र में स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है;
- (ii) छात्र-आवेदक हांगकांग के अविवाहित निवासी होने चाहिए और उनके पास हांगकांग में आवास का अधिकार, भूमि का अधिकार या बिना शर्त रहने (रहने की सीमा के अलावा) की वैध अनुमति होनी चाहिए। यात्री वीजाधारी, द्विगुमि विकास अनुमति, केवल छात्र वीजा या छात्र-वीजा/यात्री-वीजाधारकों पर आश्रित लोग छात्र वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं;
- (iii) जो छात्र-आवेदक नर्सरी या किंडरगार्टन (K1 से K3) की निम्न और उच्च कक्षाओं में हैं, उन्हें -
 - 31 अगस्त 2026 को उनकी आयु कम-से-कम 2 वर्ष और 8 माह होनी चाहिए (अर्थात् उनका जन्म 31 दिसंबर 2023 को या इससे पूर्व का होना चाहिए); और
 - वे शिक्षा ब्यूरो (EDB) के साथ पंजीकृत नर्सरी (K1), निम्न (K2) उच्च कक्षाओं (K3) किंडरगार्टन की कक्षाओं में जाने वाले हों चाहिए। किंडरगार्टन गैर-लाभकारी किंडरगार्टन होना चाहिए, और उसे किंडरगार्टन शिक्षा योजना के अंतर्गत स्थानीय पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए।
- (iv) बाल देखरेख केंद्रों (आयु वर्ग 0-2 और बाल देखरेख केंद्रों (आयु वर्ग 2-3) में जानेवाले छात्र-आवेदकों के लिए, उन्हें -
 - समाज कल्याण विभाग (SWD) के साथ पंजीकृत बाल देखरेख केंद्रों (दिन के शिशुसदन, दिन की नर्सरी या किंडरगार्टन-सह-बाल देखरेख केंद्रों में संबंधित आयु वर्गों) में पूरे दिन देखभाल सेवाएं मिलनी चाहिए; और
 - उसी आंकलन अवधि में “सामाजिक आवश्यकताएं” जांच पास करनी चाहिए और
- (v) छात्र-आवेदक जिन स्कूलों में जा रहे हैं, वे स्कूल निम्न योजनाओं में यथा निर्धारित श्रेणियों से संबंधित होने चाहिए:

वित्तीय सहायता योजना

- किंडरगार्टन और बाल देखरेख केंद्रों में फीस छूट (KCER) योजना जरूरतमंद माता-पिता को किंडरगार्टन शिक्षा योजना के तहत स्थानीय गैर-लाभकारी किंडरगार्टन में नर्सरी, निम्न तथा उच्च कक्षाओं में जाने वाले उनके बच्चों और/या बाल देखरेख केंद्रों में पूरे दिन बाल देखभाल सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए फीस छूट के रूप में सहायता प्रदान करती है।
- किंडरगार्टन छात्रों के लिए स्कूल संबंधी खर्चों के लिए सहायता (Grant-KG) ऐसे जरूरतमंद किंडरगार्टन छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है जो साधन परीक्षा पास कर सकते हैं और KCER योजना के अंतर्गत समान पात्रता मानदंड पूरा करते हैं ताकि किंडरगार्टन शिक्षा योजना के अंतर्गत किंडरगार्टन शिक्षा के छात्रों द्वारा स्कूल संबंधी खर्चों का भुगतान किया जा सके।
- स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता (TA) योजना अनिवार्य पाठ्यपुस्तकों और स्कूल से संबंधित विभिन्न खर्चों की लागत को कवर करने के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी योजना के तहत सरकारी, सहायता प्राप्त, प्रति व्यक्ति अनुदान वाले स्कूलों और स्थानीय स्कूलों में प्राइमरी 1 से सेकेंडरी 6 के छात्रों को सहायता प्रदान करती है।
- छात्र यात्रा सब्सिडी (STS) योजना प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में उपस्थिति देने वाले या प्रथम डिग्री स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्था में पूर्णकालिक दैनिक पाठ्यक्रम में जाने वाले, अपने स्कूलों से 10 मिनटों से ज्यादा की दूरी पर रहने वाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाने के लिए जिन्हें यात्रा करने की जरूरत है, उन जरूरतमंद छात्रों की यात्रा सब्सिडी प्रदान करती है।
- इंटरनेट एक्सेस शुल्क के लिए सब्सिडी योजना (SIA) उन जरूरतमंद परिवारों को उनके बच्चों के लिए घर पर ई-शिक्षण के लिए इंटरनेट पहुंच प्रभावों की पूर्ति करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है जिनके बच्चे प्राइमरी या सेकेंडरी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक छात्र हैं, या एप्लाइड शिक्षा का डिप्लोमा (DAE) कार्यक्रमों या व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (VTC) के समेकित पाठ्यक्रमों में लगे रहने वाले पूर्णकालिक छात्र हैं। (उदाहरण के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा या फिक्स्ड या मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के ऑपरेटरों द्वारा दिए गए SIM कार्ड पर शुल्क)। सब्सिडी घरेलू आधार पर दी जाती है पात्र परिवारों को घरेलू आधार पर मूल दर के लिए नकद अनुदान प्राप्त होगा चाहे परिवार में बच्चों की संख्या कितनी भी हो।

आवेदन संबंधी प्रक्रिया

आवेदन को सुविधाजनक बनाने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, छात्र वित्त कार्यालय (SFO) आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक आवेदन जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि परिवार 2026/27 स्कूल वर्ष के लिए छात्र वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं तो वे इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र को पूरा करने और ऑनलाइन जमा करवाने के लिए हमारा ई-सेवा मंच (<https://eWFSFAA.gov.hk>) पर जा सकते हैं या पूरा भरा हुआ पेपर-आधारित आवेदन फॉर्म (SFO 106B या SFO 7B) सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ सीधे SFO को डाक द्वारा वापस भेज सकते हैं। आवेदकों को आवेदन पूर्ण करने से पहले घरेलू आवेदन पर दिशा-निर्देश नोटस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रत्येक परिवार को केवल एक आवेदन जमा करना चाहिए। एक ही आवेदक से एकाधिक आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और आवेदन की कार्यवाही में देरी होगी। आवेदन की प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित है –

(i) प्राइमरी और सेकेंडरी के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदनों पर लागू

अनुमानित समय	प्रक्रियाएं
मई 2026 के अंत में या इससे पूर्व	आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र भरने, सारे जरूरी दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करने और उन्हें एकसाथ ऑनलाइन जमा करवाने की जरूरत है, या अनुपूरक फॉर्म (यदि लागू हो) के साथ पूरा भरा हुआ पेपर-आधारित आवेदन पत्र संबंधित सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रदान किए गए पता लिखे लिफाफे का उपयोग करते हुए SFO को डाक द्वारा भेजना है।
उन आवेदकों के लिए, जिन्हें 2025/26 स्कूल वर्ष में स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता वितरित की जा चुकी है	
जुलाई/अगस्त 2026	यदि 31 मई 2026 को या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों ने सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक जानकारी दी है, पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और साधन परीक्षा पास की है तो SFO लगभग जुलाई/अगस्त 2026 में पात्र छात्रों को स्वचालित भुगतान द्वारा अल्पकालीन स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता और पात्र परिवारों को इंटरनेट एक्सेस शुल्क के लिए सब्सिडी जारी करेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों को पेपर-आधारित प्रपत्रों का उपयोग करने वाले आवेदकों की तुलना में अस्थायी स्कूल पाठ्य पुस्तक सहायता और इंटरनेट एक्सेस शुल्क के लिए सब्सिडी प्राप्त होगी। SFO आवेदकों को परिणाम की अधिसूचना भी * लगभग जुलाई /अगस्त 2026 में जारी करेगा। “अपात्रता की अधिसूचना” उन परिवारों को जारी की जाएगी जो साधन परीक्षा को पास नहीं कर सकते; जो SFO द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक पूरक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं; या जिन्होंने अपने आवेदन वापिस ले लिए हैं।
अक्तूबर 2026 के अंत/नवम्बर की से	उन छात्रों के लिए जिन्हें अंतिम TA वितरित किया जा चुका है, SFO 2026/27 स्कूल वर्ष के लिए जैसे ही पाठ्यपुस्तक अनुदान दरे उपलब्ध होती हैं सब्सिडी राशि की पुनः गणना और निर्धारण करेगा जिसके लिए आवेदक पात्र हैं और आवेदकों को सब्सिडी की शेष राशि जारी करेगा या आवेदकों से उन्हें दी गई अधिक राशि की वसूली करेगा और छात्र-आवेदक की स्कूल संबंधी जानकारी की (अक्तूबर 2026 के अंत/ नवम्बर की से) EDB के डाटाबेस से जांच की जाएगी।
उन आवेदकों के लिए, जिन्हें 2025/26 स्कूल वर्ष में स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता वितरित नहीं की गई है या जिनके 2026/27 स्कूल वर्ष में P1 में जा रहे बच्चे थे	
अगस्त 2026	यदि 31 मई 2026 को उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों ने सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है तो SFO अगस्त 2026 से आरंभ करते हुए पात्र आवेदकों को “परिणाम की अधिसूचना” #, छात्र-आधारित पात्रता प्रमाणपत्र (EC) और “वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए आवेदन संबंधी दिशानिर्देश नोट” जारी करेगा। “अपात्रता की अधिसूचना” उन परिवारों को जारी की जाएगी जो साधन परीक्षा को पास नहीं कर सकते; जो SFO द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक पूरक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं; या जिन्होंने अपने आवेदन वापिस ले लिए हैं।
सितंबर 2026	ECs प्राप्त करने वाले आवेदकों को ECs पर पहले से भरी निजी जानकारी और चयनित योजना(ओं) की साधनानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। आवेदकों को संसाधित किए जाने हेतु पूर्ण किए हुए ECs उस स्कूल को लौटा देने चाहिए जिसमें बच्चे स्कूल आरंभ होने की तारीख के बाद एक सप्ताह या ECs के जारी किए जाने की तारीख से दो सप्ताह (जो भी बाद में हो) के भीतर आ रहे हैं। स्कूलों को छात्र-आवेदकों की स्थिति और उपस्थिति को प्रमाणित करना चाहिए और फिर ECs SFO को अग्रप्रेषित करना चाहिए। साधारण तौर पर, SFO समय सीमा के बाद जमा किए कोई भी ECs स्वीकार नहीं करेगा।

अक्टूबर के अंत/नवंबर 2026 या उसके बाद	लौटाए गए ECs की जांच के बाद, SFO उन छात्रों को स्वचालित भुगतान द्वारा वित्तीय सहायता जारी करेगा जिनकी उनके द्वारा आवेदन की गई संबंधित योजनाओं के लिए पात्र होने की पुष्टि की गई है। यदि आवेदकों ने आवेदन पत्र में अपना स्थानीय और वैध मोबाइल फोन नंबर प्रदान किया है तो SFO संबंधित भुगतान जानकारी के योग्य आवेदकों को सूचित करने के लिए SMS भेजेगा।
---------------------------------------	--

उन सतत आवेदकों के लिए जिनके पास 2026/27 स्कूल वर्ष में प्री-प्राइमरी के छात्रों के लिए एक साथ वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले बच्चे हैं, SFO पात्र परिवारों को स्कूल प्रमाणपत्र (SC) के साथ "परिणाम की अधिसूचना" जारी करेगा। विवरण के लिए, कृपया प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लिए लागू आवेदन प्रक्रियाओं को देखें।

(ii) प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदनों पर लागू

अनुमानित समय	प्रक्रियाएं
उन आवेदकों के लिए जिन्हें 2025/26 स्कूल वर्ष में केवल प्री-प्राइमरी के छात्रों (इनमें वे छात्र शामिल नहीं हैं जो 2026/27 स्कूल वर्ष में P1 में जाएंगे) के लिए वित्तीय सहायता संवितरित की जा चुकी है	
जून 2026 में या इससे पूर्व	आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र भरने, सारे जरूरी दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करने और उन्हें एकसाथ ऑनलाइन जमा करवाने की जरूरत है, या "सामाजिक आवश्यकताएं" आंकलन फॉर्म (यदि लागू हो) के साथ पूरा भरा हुआ पेपर-आधारित आवेदन पत्र और संबंधित सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ पूर्ण भरा हुआ आवेदन फॉर्म प्रदान किए गए पता लिखे लिफाफे का उपयोग करते हुए डाक द्वारा SFO को भेजना है।
अगस्त 2026 या इसके बाद	यदि 30 जून 2026 या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों ने सहायक दस्तावेजों के साथ सारी आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है तो SFO अगस्त 2026 से आरंभ करते हुए पात्र सतत आवेदकों को छात्र-आधारित SC के साथ "परिणाम की अधिसूचना" जारी करेगा। SC केवल उन छात्र-आवेदकों के लिए लागू हैं जो 2026/27 स्कूल वर्ष में दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने जा रहे हैं, जिनकी कक्षा और सत्र पहले से भरे फॉर्म से अलग हैं, या जो प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, आवेदकों को 2026/27 स्कूल वर्ष के संसाधित किए जाने के लिए वर्तमान स्कूल को 31 अगस्त 2026 या SC जारी होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर (जो भी बाद में हो) प्रस्तुत करने होंगे।
उन आवेदकों के लिए जिन्हें 2025/26 स्कूल वर्ष में प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता संवितरित नहीं की गई है	
जुलाई 2026 या इसके बाद	SFO स्कूलों के माध्यम से संबंधित छात्रों को SC के साथ "छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए घरेलू आवेदन फॉर्म" जारी करेगा और 1 अगस्त 2026 से आवेदन प्राप्त करना आरंभ करेगा। आवेदकों को पूरा पेपर आधारित आवेदन फॉर्म तथा शीघ्र डाक द्वारा सीधे SFO को लौटा देने चाहिए या जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक आवेदन जमा करना होगा और संसाधित किए जाने हेतु SC को 2026/27 स्कूल वर्ष के लिए 31 अगस्त 2026 से पूर्व उपस्थायीन स्कूल में प्रस्तुत करना चाहिए।

नोट

- यदि व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (CSSA) प्राप्त करने वाले परिवारों में फिलहाल प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों या किंडरगार्टन और अन्य निम्न कक्षा स्तरों में अध्ययन करने वाले बच्चे हैं तो उन्हें 2026/27 स्कूल वर्ष के लिए अपनी स्कूल फीस, परीक्षा फीस, पाठ्यपुस्तकों और स्टेशनरी पर व्यय, ट्रांसपोर्ट भाड़े, घर पर इंटरनेट पहुंच प्रभागों आदि के लिए स्कूल से संबंधित सहायता हेतु सीधे SWD को आवेदन करना चाहिए। उन्हें SFO को आवेदन प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
- यदि आवेदकों ने 2026/27 स्कूल वर्ष के लिए ऑनलाइन "इलेक्ट्रॉनिक घरेलू आवेदन पत्र छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए" जमा किया है, तो उन्हें अलग से SFO को पेपर-आधारित आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

- (iii) मान्य परिस्थितियों (प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के अलावा) के अंतर्गत, SFO 1 मार्च 2027 को या इसके बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी “छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए घरेलू आवेदन” को स्वीकार नहीं करेगा। व्यक्तिगत वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं –

वित्तीय सहायता योजना	आवेदन के लिए अंतिम तारीख
किंडरगार्टन और बाल देखरेख केंद्रों में फीस छूट (KCFR) योजना	आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म SFO को 2026/27 स्कूल वर्ष में कक्षाओं में उपस्थिति पूरी होने से पहले या 15 अगस्त, 2027 से पूर्व (दोनों में से जो भी पहले हो), को प्रस्तुत कर देने चाहिए। अन्यथा, उनके द्वारा साधन परीक्षा पास कर सकने और पात्रता मानदंड पूरा करने पर भी फीस छूट आम तौर पर जारी नहीं की जाएगी। फीस छूट का प्रभावी माह वो माह होगा जिसमें आवेदकों द्वारा आवेदन फॉर्म प्रस्तुत किए जाने हैं, या वो माह जिसमें छात्र-आवेदकों को किंडरगार्टन/बाल देखरेख केंद्रों में दाखिल किया जाना है, जो भी बाद में हो।
किंडरगार्टन छात्रों के लिए स्कूल संबंधी खर्चों के लिए सहायता (Grant-KG)	आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म SFO को 2026/27 स्कूल वर्ष में कक्षाओं में उपस्थिति पूरी होने से पहले या 15 अगस्त, 2027 से पूर्व दोनों में से जो भी पहले हो, को प्रस्तुत कर देने चाहिए। अन्यथा, आम तौर पर Grant-KG संवितरित नहीं किया जाएगा, भले ही वे साधन परीक्षा पास कर सकते हों और पात्रता मानदंड पूरा करते हों।
स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता (TA) योजना	आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म SFO को 31 अक्टूबर 2026 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए। अन्यथा, स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता सामान्य तौर पर जारी नहीं की जाएगी यद्यपि आवेदक साधन परीक्षा पास कर सकते हैं और पात्रता मानदंड पूरा करते हों।
छात्र यात्रा सब्सिडी (STS) योजना	उन आवेदकों के लिए जिन्होंने 1 नवंबर 2026 को या इससे पूर्व अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं, साधन परीक्षा पास करते हैं और पात्रतामानदंड पूरा करते हैं, सफल छात्र-आवेदकों को छात्र यात्रा सब्सिडी का भुगतान (यदि लागू हो) आवेदन प्राप्त होने की तारीख या छात्र-आवेदकों के स्कूल में दाखिले की तारीख (या पूर्व में जिन छात्रों को CSSA प्राप्त हुई है उन छात्रों के लिए CSSA रोकने की तारीख से) व्यक्तिगत मामलों की परिस्थितियों के आधार पर प्रभावी होगा।
इंटरनेट पहुंच प्रभार हेतु योजना (SIA)	उन आवेदकों के लिए जिन्होंने 1 फरवरी 2027 (यानी 2026/27 स्कूल वर्ष के उत्तरार्ध में), को या इससे पूर्व तारीख को अपने आवेदन फॉर्म प्रस्तुत किए हैं, SIA का आंशिक भुगतान सफल आवेदकों को किया जा सकता है बशर्ते आवेदक साधन परीक्षा को पास कर सकते हैं और पात्रता मानदंड पूरे करते हों।

- (iv) SFO आवेदकों के हांगकांग के मोबाइल नंबरों के माध्यम से SMS द्वारा या लिखित में (उन आवेदकों के लिए लागू जो हांगकांग का मोबाइल नंबर प्रदान करने में अक्षम हैं) आवेदन प्राप्ति की जानकारी देगा। यदि आवेदकों को उनके आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद 20 दिनों के भीतर SFO से SMS के द्वारा या लिखित में आवेदन की प्राप्ति की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वे गलत/विफल डिलीवरी के कारण आवेदन में विलंब से बचने के लिए यह पता लगाने के लिए कि उनके आवेदन SFO को प्राप्त हुए भी हैं या नहीं, SFO की पृष्ठताछ हॉटलाइन (2802 2345) पर कॉल करें।
- (v) यदि मूल्यांकन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के बाद आवेदक के पारिवारिक विवरण (जैसे पारिवारिक रचना, वित्तीय स्थिति इत्यादि) में पर्याप्त परिवर्तन होते हैं, आवेदक हमें संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में सूचित कर सकता है। SFO प्रत्येक मामले की अपनी व्यक्तिगत खूबियों पर विचार करेगा।

साधन परीक्षा और सहायता के स्तर

- (i) SFO छात्र वित्तीय सहायता और सहायता के स्तर हेतु परिवार की पात्रता का आकलन करने के लिए साधन परीक्षा के तौर पर “समायोजित पारिवारिक आय” (AFI) तंत्र का उपयोग करेगा। सूत्र निम्नानुसार है:

$$AFI = \frac{\text{परिवार की कुल वार्षिक आय}}{\text{परिवार के सदस्यों की संख्या} + (1)}$$

- (ii) परिवार की कुल वार्षिक आय में आवेदक और उसके पति/उसकी पत्नी की वार्षिक आय; परिवार के साथ रह रहे अविवाहित बच्चे की वार्षिक आय का 30% यदि लागू हो; और रिश्तेदारों/मित्रों का अंशदान यदि लागू हो, शामिल होता है।
- (iii) परिवार के सदस्यों सामान्य तौर पर आवेदक, उसकी पत्नी/उसके पति, परिवार के साथ रह रहे अविवाहित बच्चे/बच्चों और आश्रित माता-पिता जिनकी सहायता आवेदक द्वारा की जाती है और उसकी पत्नी/उसके पति का उल्लेख किया जाता है।
- (iv) 2 से 3 सदस्यों वाले एक ही माता या पिता वाले परिवारों में, AFI सूत्र के भाजक में “जमा 1 अंश” में बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा।
- (v) 2026/27 स्कूल वर्ष में विभिन्न स्तरों की सहायता के लिए AFI पात्रता के मानदंड नीचे तालिका में सूचीबद्ध हैं। कृपया नोट करें कि AFI परिवार की औसत मासिक आय नहीं है।

स्कूल वर्ष 2026/27 - AFI समूह (HK\$)	सहायता का स्तर
0 – 46,292	पूर्ण (100%) *
46,293 – 89,515 #	आधा (50%)
> 89,515	अपात्र (आवेदन सफल नहीं हुए)

* 3-सदस्यों और 4-सदस्यों वाले परिवारों के लिए सहायता के पूर्ण स्तर हेतु AFI की सीमा रेखा 2026/27 स्कूल वर्ष के लिए क्रमशः \$56,044 और \$51,561 हैं। 2-सदस्यों और 3-सदस्यों वाले एक माता या पिता वाले परिवारों के लिए, सहायता के पूर्ण स्तर हेतु AFI तक की सीमा रेखा का निर्धारण करने और AFI की गणना करने हेतु उन्हें क्रमशः 3-सदस्यों और 4-सदस्यों वाला परिवार माना जाता है।

प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वितीय सहायता हेतु, सहायता का स्तर 3/4 (75%) है यदि परिवारों का AFI \$46,293 और \$56,707 के बीच है; और सहायता का स्तर आधी (50%) है अगर AFI \$56,708 और \$89,515 के बीच है।

सब्सिडी जारी करना

- प्राइमरी और सेकेंडरी के छात्रों के लिए वितीय सहायता हेतु, SFO पात्र आवेदकों को स्वचालित भुगतान द्वारा वितीय सहायता सवितरित करेगा। (नोट: TA और SIA की अनंतिम राशि सामान्य तौर पर पात्र आवेदकों को जुलाई/अगस्त आसपास में से आरंभ करके सवितरित की जाती है जबकि STS सामान्य तौर पर अक्तूबर के अंत के आसपास/नवम्बर के बाद से जारी किया जाता है। नए आवेदकों को सामान्य तौर पर अक्तूबर के अंत/नवम्बर में या इसके बाद सब्सिडी की राशि का सवितरण किया जाता है।)
- प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वितीय सहायता हेतु, फीस छूट की अनुमोदित राशि को फीस छूट की राशि सहित परिणाम की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद 10 दिनों के भीतर ट्रेजरी द्वारा सीधे किंडरगार्टन/बाल देखरेख केंद्रों को दी जाएगी। आवेदकों को भुगतान की व्यवस्था फिर किंडरगार्टन/बाल देखरेख केंद्रों द्वारा की जाएगी। किंडरगार्टन छात्रों के लिए स्कूल से संबंधित व्यय के लिए अनुदान पात्र आवेदकों को ऑटोपे द्वारा वितरित किया जाएगा। (नोट: SFO सितंबर 2026 से आरंभ करते हुए, समूहों में संबंधित स्कूलों के माध्यम से सफल आवेदकों को फीस छूट की राशि वितरित करेगा। इसके अलावा किंडरगार्टन छात्रों के लिए स्कूल संबंधी खर्चों के लिए सहायता पात्रता प्राप्त आवेदकों के बैंक खाते में स्वचालित भुगतान के माध्यम से सवितरित किया जाएगा।)

पूछताछ

- वितीय सहायता योजना और आवेदन प्रक्रियाओं से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया हमारी 24-घंटे खुली पूछताछ हॉटलाइन 2802 2345 पर कॉल करें। यदि आवेदक हॉटलाइन पर कॉल करने के दौरान चीनी और अंग्रेजी के अलावा 8 अन्य भाषाएँ (भाषा इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, टैगलॉग, थाई, उर्दू और वियतनामी सहित) का प्रयोग करके आवेदन संबंधी मामलों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, तो टेलीफोन लाइन कनेक्ट होने के बाद ‘4’ दबाकर “अन्य भाषाएं” विकल्प का चयन करें। वैकल्पिक रूप से, अधिक जानकारी के लिए आवेदक कामकाजी परिवार और छात्र वितीय सहायता एजेंसी की वेबसाइट (www.wfsfaa.gov.hk) पर जा सकते हैं।
- अंग्रेजी तथा 8 अन्य भाषाओं में भाषांतर सेवाओं की आवश्यकता होने पर आवेदक दूरभाष से सेंटर फॉर हार्मोनी एंड एनहांसमेंट ऑफ एथनिक माइनोंरिटी रिसर्सेंट्स (CHEER) से संपर्क कर सकते हैं। CHEER के हॉटलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं – बहासा इंडोनेशिया (3755 6811); हिंदी (3755 6877); नेपाली (3755 6822); पंजाबी (3755 6844); टैगलॉग (3755 6855); थाई (3755 6866); उर्दू (3755 6833) और वियतनामी (3755 6888)। CHEER की सेवाओं के बारे में अधिक विवरण के लिए आवेदकों को उनका होमपेज (<http://www.hkcscheer.net>) देखना चाहिए।